निर्णय बृजलाल हीरालाल मीना RAS उपखण्ड अधिकारी बारां

प्रकरण सं. 69/18

1- सुरेन्द्र सिंह
2. राजेश कंवर
3. सीमा कंवर
4- जसवन्त सिंह
} पिसरान बाबू सिंह उर्फ उजागर सिंह जाति राजपूत निवासी गण- बारां - वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार- बारां - प्रति.

वाद अन्तर्गत 88, 89, 90, 188 RTAct

उपस्थित :- 1. श्री अलख भारती एड. वादी
2. " पेशकार सरकार

निर्णय

दिनांक 10/7/19

प्रस्तुत वाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खाते की आराजी स. नं. 163 रकबा 0.82 हे0, 164 रकबा 0.87 हे0, 167 रकबा 2.00 हे0 कुल 3 किता 3.69 हे0 ग्राम सुसावन मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है, उक्त आराजी मे वादीगण का 1/5 हिस्सा है. खातेदार बाबू सिंह उर्फ उजागर सिंह की मृत्यु हो गयी है, उनके वारिस वादीगण है। खातेदार बाबू सिंह उर्फ उजागर सिंह की मृत्यु से पूर्व निर्मला कंवर की मृत्यु हो गयी थी और बाद मे बाबू सिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरण मे निर्मला कंवर के वारिसान मिथलेश, किशन सिंह, चेन सिंह के नाम सहवन से हिस्सा बराबर दर्ज हो गये, जबकि वादीगण का 4/25 व निर्मला कंवर के वारिसान का हिस्सा 1/25 बनता है, लेकिन सहवन से रिकार्ड मे हिस्सा बराबर दर्ज हो गया, जिसे वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है, अत: उक्त विवादित आराजी मे वादीगण का 4/25 व शेष खातेदार मिथलेश, किशन सिंह, चेन सिंह पिसरान राम सिंह का हिस्सा 1/25 दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी की तलबी की गयी, प्रतिवादी 1 ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी खाता सं. 278 पर दर्ज खातेदार सुरेन्द्र सिंह का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/25 जसवन्त सिंह का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/25, सीमा कंवर का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/25, राजेश कंवर का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/25, एवं किशन सिंह का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/75, चेन सिंह

उप खण्ड अधिकारी
बारां

का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/25 व मिथलेश का हिस्सा 1/35 के स्थान पर 1/75 किया जाना उचित है।

साक्ष्य वादी मे शपथ पत्र बयान वादी सुरेन्द्र सिंह पेश हुआ प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया, साक्ष्य मे राजस्व रेकार्ड EX 1 से EX 4 पेश है।

वकील वादी व पेरोकार की बहस सुनी। वकील वादी ने वाद पत्र के चरणो को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त खाते की आराजी है, उक्त आराजी मे वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा है। खातेदार बापू सिंह उर्फ उजागर सिंह की मृत्यु पर खोला गया नामान्तकरण मे मृतक निर्मला कंवर के वारिसान का हिस्सा 1/25 बनता है। लेकिन सहवन रिकार्ड से सहवन हिस्सा बराबर दर्ज हो गया, वादीगण उजागर सिंह के हिस्से 1/5 मे से 4/25 अपने नाम व बिशन सिंह 1/75, चेन सिंह 1/75, व मिथलेश 1/75 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पेरोकार सरकार ने कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब ही उनकी बहस है जो भी आदेश होगा पालना कर ली जावेगी।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया - पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया, वादीगण रेकार्ड EX 1 उक्त संयुक्त खाते की आराजी मे वादीगण के कुल भूमि मे 1/35-1/35 दर्ज है तथा मिथलेश 1/35 बिशन सिंह, चेन सिंह पुत्र राम सिंह का 1/35-1/35 दर्ज है, जबकि चेन सिंह, बिशन सिंह, मिथलेश मृतक निर्मला कंवर के वारिसान होने से उनका हिस्सा 1/75-1/75 दर्ज होना चाहिये था तथा वादीगण सभी का 1/35 के स्थान पर 1/25 ही दर्ज चाहिए था, तहसीलदार - बारां ने भी अपने जवाब व टिप्पणी मे वादीगण का 1/25-1/25 तथा निर्मला सिंह के वारिसान का 1/75-1/75 दर्ज होना चाहिए था, उक्त अंकन सहवन से दर्ज हुआ है। जिसे दुरुस्त करना उचित है।

अत: वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण ~~1~~ 1 ता 4 को विवादित आराजी ग्राम सुसावन तह-बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

के खसरा नम्बर 163 रकबा 0.82 हे0, 164 रकबा 0.36 हे0 व 168 रकबा 2.00 हे0 कुल इकिता रकबा 3.18 हे0 मे वादीगण 1 ता 4 का हिस्सा, 1/35 - 1/35 के स्थान पर 1/25 - 1/25 दर्ज करने व खातेदार किशनसिंह, चेनसिंह, सिद्धसिंह पिता रामसिंह के हिस्सा 1/35 - 1/35 के स्थान पर 1/75 - 1/75 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा तहसीलदार बारां की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी, उपरानुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जावे। उक्त आशय की डिक्री पारित की जाकर शामिल पत्रावली की जावे।

(हीरालाल मीना)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.08.09 17:54:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: